न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सोजत
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 20/2012

अपीलान्ट

1. श्रीमति शोभादेवी पत्नि बालकृष्ण
2. रामेश्वरलाल पुत्र देवाराम
3. प्रेमप्रकाश पुत्र देवाराम
4. लक्ष्मण पुत्र देवाराम
5. कान्तादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र जातियान माली निवासीगण सोजत सिटी जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. मिश्रीदेवी पत्नि दमाराम
2. रामचन्द्र पुत्र दमाराम
3. रामलाल पुत्र दमाराम
4. हीरालाल पुत्र दमाराम
5. कानाराम पुत्र दमाराम
6. सेणीदेवी पुत्री दमाराम
7. नाराराम पुत्र शंकरलाल
8. मिश्रीलाल पुत्र शंकरलाल
9. भंवरलाल पुत्र उन्दरराम
10. वेनाराम पुत्र उन्दरराम
11. लक्ष्मणराम पुत्र उन्दरराम जातियान माली निवासीगण सोजत सिटी
12. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23.05.2017

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सोजत चक I तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 312 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 22.12.1983 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प सोजत में प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष को सुना गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोजत चक I में अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6229 की आई हुई स्थित है, जिसके चिपते खसरा नम्बर 6231, 6230, 6238 की भूमि आई हुई स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति एवं 2 से 6 के पिता दमाराम द्वारा सोजत चक I के पुराने खसरा नम्बर 369 के नये खसरा नम्बर 6235 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा कृषि भूमि में से 5 बीघा भूमि दिनांक 07.08.1976 को जरिये बेचान रजिस्ट्री द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 व 8 के पिता शंकरलाल पुत्र गंगाराम के खरीद की थी। जिसके अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पति एवं पिता दमाराम के द्वारा जरिये बेचान रजिस्ट्री से म्यूटेशन संख्या 312 दिनांक 22.12.1983 को तहसीलदार सोजत के द्वारा कायम किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के पिता दमाराम पुत्र पोकरराम का नाम राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन संख्या 312 दिनांक 22.12.1983 तहसीलदार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सोजत द्वारा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 07.08.1976 के आधार पर कायम किया गया, जो विधि विरूद्ध दायर किया, क्योंकि खसरा नम्बर 6231 व 6238 की भूमि दमाराम द्वारा खरीद ही नही की। दमाराम द्वारा पुराने खसरा नम्बर 369 की भूमि क्रय की है, जिसके नये खसरा नम्बर 6235 है। इस प्रकार तहसीलदार सोजत द्वारा राजस्व रेकर्ड की जांच नही की तथा जैर अपील नामान्तरकरण दायर किया। सोजत चक I के पुराने खसरा नम्बर 382/3 के नये खसरा नम्बर 6231 जो जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 के अनुसार उन्दरिया पुत्र नवला के नाम की खातेदारी सुदा है, जो कभी भी शंकरलाल पुत्र गंगाराम के नाम की खातेदारी नही रही। इस प्रकार राजस्व अधिकारीयों द्वारा खसरा नम्बर 6231 का नामान्तरकरण दमाराम पुत्र पोकरराम के नाम कायम किये जाने में विधिक भूल की है। सोजत चक प्रथम के पुराने खसरा नम्बर 382/1 के नये खसरा नम्बर 6230 रकबा 0.3100 हैक्टेयर तथा पुराने खसरा नम्बर 382/1 के भी नये खसरा नम्बर 6238 रकबा 1.2500 हैक्टेयर कायम किया गया, जो उन्दरिया पुत्र नवला व शंकरलाल पुत्र गंगाराम के नाम सेटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा मनमाने तरीके से एवं विधि विरूद्ध रूप से खातेदारी दर्ज कर दी, जबकि पुराने खसरा नम्बर 382/1 उन्दरिया पुत्र नवला के नाम की खातेदारी है, न की शंकरलाल पुत्र गंगाराम के नाम की खातेदारी है। सेटलमेन्ट अधिकारीयों को गलत खातेदारी दर्ज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था, इस कारण नामान्तरकरण संख्या 312 निरस्त योग्य है। अतः प्राथमिक आपत्ति खारिज कराते हुए अपील स्वीकार कर जैर अपील आदेश एवं नामान्तरकरण को खारिज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स ने कथन किया कि अपील में वर्णित कृषि भूमि के सन्दर्भ में सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में एक राजस्व वाद संख्या 111/06 बाबत खातेदारी उद्घोषणा एवं निषेधाज्ञा का रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पेश किया गया है, जो लम्बित है। उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 123/06 भी पेश किया था, जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 30.08.2011 को निर्णित हो चुका है। उपरोक्त आदेश की अपील अपीलाण्ट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील संख्या 68/11 प्रस्तुत की थी, जो अपील भी दिनांक 18.12.2012 को खारिज हो चुकी है। इस तरह अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में प्रभाव में हे। जैर अपील नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि के बाबत सक्षम न्यायालय में पहले से ही खातेदारी घोषणा का वाद लम्बित है, ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों के समस्त हक हकूक, अधिकार सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा तय होंगे। नामान्तरकरण अपील समरी प्रोसिडिंग है एवं न्याय की मंशा है कि जहां नियमित वाद लम्बित हो, वहां पर समरी कार्यवाही नही चलेगी एवं दावे के निर्णय के अनुसार स्वतः ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात हो जायेंगे, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण अपील दावा विचाराधीन होते हुए काबिल पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जेर अपील नामान्तरकरण खातेदार शंकरराम पुत्र गंगाराम माली द्वारा दमारामपुत्र पोकरराम माली को बेचान करने के कारण रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर दायर किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि जिस भूमि का बेचान किया गया, उस भूमि का नामान्तरकरण दायर न किया जाकर अन्य भूमि का नामान्तरकरण दायर किया गया है, इस कारण जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध है। इसके विपरित रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि दौराने सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो रेकर्ड तैयार किया गया है, वह

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नक्शे एवं मौके की प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुए नही किया गया, जिसके कारण भूमि के खसरा नम्बर गलत अंकित कर दिये गये है, जबकि जिस भूमि का विक्रय हुआ है, रेस्पोडेन्ट्स मौके पर उसी भूमि पर काबिज काश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जितनी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पति एवं पिता द्वारा क्रय की गई, उससे भी कम भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पति एवं पिता दमाराम के नाम दर्ज की गई है। दमाराम द्वारा 5 बीघा भूमि क्रय की गई है, जिसकी हैक्टेयर प्रणाली से गणना करने पर क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर होता है, जबकि राजस्व रेकर्ड में 0.51 हेक्टेयर ही दर्ज किया गया है। इसको दुरूस्त कराने एवं शेष क्षेत्रफल की भूमि की खातेदारी घोषित कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वाद विचाराधीन है। अतः अपील खारिज कराने का निवेदन किया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जिससे हको का निर्धारण नही होता है। अपने हकों के निर्धारण हेतु हितबद्ध व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर करवाना ही समुचित उपचार माना गया है। हस्तगत प्रकरण में जिस विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह विक्रय विलेख भू–प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व का है तथा इस विक्रय विलेख की पालना में जो नामान्तरकरण दायर किया गया है, वह नामान्तरकरण भू–प्रबन्ध कार्यवाही होने के पश्चात दायर किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी रेकर्ड पर आया है कि इसी भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत में वाद विचाराधीन है, जिसमें यदि वादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होता है, तो उससे जैर अपील नामान्तरकरण प्रभावित होना संभावित है। इसके अतिरिक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 123/2006 में दिनांक 30.08.2011 को रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी किया गया है, जो प्रभावी होना जाहिर किया है। चूंकि समक्ष न्यायालय में वाद विचाराधीन रहते नामान्तरकरण अपील पोषणीय नही है। इस कारण हस्तगत अपील स्वीकार योग्य नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम सोजत चक I तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 312 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 22.12.1983 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सोजत

निर्णय आज दिनांक 23.05.2017 को राजस्व लोक अदालत/कोर्ट केम्प सोजत में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सोजत